न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –15 /2019 (प्रार्थना पत्र)

GCMS No. 2021/155

1. जमनालाल आत्मज किशना जाति बलाई निवासी गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये अधिक्षण अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक ए–504 इन्द्रा विहार तलवण्डी, कोटा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा
3. हेमराज आत्मज श्री कान्हा, जाति बलाई निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा
4. बृजमोहन आत्मज श्री कान्हा जाति बलाई निवासी नई बस्ती मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. मुलकराज आत्मज स्व0 श्री लटूरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. मुकुट बिहारी आत्मज श्री लटूरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. लटूर आत्मज श्री घांसी मृतक जरिये कायम मुकामान
   7/1 श्रीमति दाखां बाई पत्नि स्व0 लटूरलाल
   7/2 हंसराज पुत्र स्व0 लटूरलाल
   7/3 धनप्रकाश पुत्र स्व0 लटूरलाल
   7/4 शोभाराम पुत्र स्व0 लटूरलाल
   जाति बलाई निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
8. नन्दू पुत्री घांसी पत्नि चन्द्रा (मृतक) जरिये कायम मुकामान
   8/1 पप्पू पुत्र नन्दा जाति बलाई निवासी जाखमूंड तहसील व जिला बून्दी
   8/2 मोहनलाल पुत्र इन्द्रा जाति बलाई निवासी ग्राम जाखमूड तहसील व जिला बून्दी
   8/3 सुगना बाई पुत्री चन्द्रा, पत्नि गागूलाल जाति बलाई ग्राम तुलसी तह0 बून्दी
9. दुर्गालाल आत्मज कान्हा (मृतक) जरिये कायम मुकामान
   9/1 देवीशंकर पुत्र स्व0 दुर्गालाल
   9/2 कमलेशी बाई पुत्री स्व0 दुर्गालाल

जिला कलेक्टर
कोटा

जाति बलाई निवासीगण ग्राम गोपालपुरा, तह

9/3 ममताबाई पुत्री स्व0 दुर्गालाल
9/4 पुष्पाबाई पत्नि स्वर्गीय दुर्गालाल
जाति बलाई निवासीगण ग्राम केवलनगर, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

10. अनोख बाई पुत्री कान्हा पत्नि रामकल्याण जाति बलाई निवासी ग्राम ढोटी तहसील सांगोद, जिला कोटा
11. कालीबाई पुत्री कान्हा पत्नि नन्दकिशोर जाति बलाई निवासी ग्राम हिंगोनिया, तहसील सांगोद जिला कोटा
12. मंजूबाई पुत्री कान्हा पत्नि लटूर बलाई निवासी ग्राम कुरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13. हजारीलाल आत्मज स्व0 किशना जाति बलाई निवासी किशोरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
14. कजोड़ी पुत्री स्व0 किशना पत्नि कालाजी जाति बलाई निवासी ग्राम दरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
15. कस्तूरी पुत्री स्व0 किशना पत्नि रामचन्द्र जाति बलाई निवासी ग्राम सुवाणा तहसील दीगोद जिला कोटा
16. केसर पुत्र स्व0 किशना पत्नि देवकरण जाति बलाई निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
17. भूलीबाई पुत्री स्व0 किशना पत्नि लटूरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम खुशालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
18. दाखां पुत्री स्व0 किशना पत्नि बिरधीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम खुशालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
19. कान्ति पुत्री किशना पत्नि स्व0 मोडूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
20. संजय पुत्र रमेशचन्द जाति मेहर द्वारा रिद्वि सिद्वि कॉलोनाईजर 214 केशवपुरा रंगबाडी कोटा राज0

———रेस्पोडेन्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(जी) (5) एवं मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 23 के अन्तर्गत क्लेम

उपस्थितः—

1. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक अप्रार्थी 8/1,2,3
3. श्री अभिनव जैन एवं दिलदार सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

जिला कलेक्टर
कोटा

निर्णय

दिनांक :– 08.09.2021

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, भूअर्जन और पुनर्वास अधिनियम 1996 की धारा 23 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एन भारतमाला परियोजना अन्तर्गत राजस्थान हरियाणा बोर्डर से मध्यप्रदेश सीमा तक पथांश निर्माण हेतु, प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुर स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 106 रकबा 0.21 हे0 तथा खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0 अवाप्त की जाकर जारी अवार्ड से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।

4. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.03.2021 को प्रस्तुत किया कि ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 96 की 0.14 हे0 खसरा नम्बर 97 की 0.14 हे0 खसरा नम्बर 106 की 0.21 हे0 खसरा नम्बर 120 की 1.42 हे0, खसरा नम्बर 289 की 0.20 हे0 खसरा नम्बर 411 की 0.88 हे0, खसरा नम्बर 448 की 2.66 हे0 कुल 7 किता की 5.65 हे0 भूमि स्थित है । जिसमें राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार ग्राम बीलखेडी, तहसील लाडपुरा स्थित खसरा नम्बर 5 रकबा 1.76 हे0 भूमि में भी प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है । उपरोक्त वर्णित भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वजों ने ही आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन कर लिया था तथा प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता द्वारा विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहे तथा वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है । पारिवारिक विभाजन होने के बाद भी दौनों ग्रामों की राजस्व रिकार्ड में सम्मिलित तौर पर दर्ज रही । इस कारण प्रार्थी ने सन 2006 में न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त गोपालपुरा स्थित उपर वर्णित तथा वाद पत्र की मद नम्बर 10 में वर्णित है को प्रार्थी को दी जाकर उसका खातेदार घोषित करने की प्रार्थीना की । उक्त वाद में न्यायालय एसीएम कोटा द्वारा दिनांक 16.6.2017 को प्रार्थी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 1.2.2021 को अन्तिम डिक्री पारित करते हुये पूर्वजों के द्वारा किये गये विभाजन एवं वर्तमान में भी कब्जे के अनुसार ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा कोटा स्थित खसरा नम्बर 106 की 0.21 हे0, खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0, खसरा नम्बर 411 की 0.88 हे0 तथा खसरा नम्बर 448 की पश्चिम साइड की 0.15 हे0 भूमि प्रार्थी को दी गई है खसरा नम्बर 120 की 0.29 हे0 भूमि पूर्व में एन0एच0 12 में अवाप्त हो जाने के कारण शेष 1.13 हे0 भूमि रही है । उपरोक्त अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम गोपालपुरा, स्थित खसरा नम्बर 106 की 0.21 हे0 तथा खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0 भूमि अवाप्त कर उसका एवार्ड जारी

जिला कलेक्टर
कोटा

कर दिया तथा एवार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 106 की भूमि का प्रतिकर 10,24,504/– तथा खसरा नम्बर 120 की भूमि का प्रतिकर 1,86,41,756/– कायम किया तथा दौनों खसरा नम्बर की भूमि का तय प्रतिकर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा मानकर प्रतिकर दिलाये जाने का एवार्ड कर दिया जबकि उक्त दौनों खसरा नम्बर की भूमि सम्पूर्ण प्रतिकर प्रार्थी ही प्राप्त करने का अधिकारी है । अप्रार्थीगण उक्त प्रतिकर की राशि में से एक रूपया भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, कारण कि उक्त भूमि पूर्वजों के समय से ही प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता के हिस्से एवं कब्जे काश्त में रही है तथा अन्य व्यक्तियों के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज है तथा न्यायालय एसीएम द्वारा भी उक्त अन्तिम डिक्री दिनांक 1.2.2021 के द्वारा प्रार्थी को दी गई है । प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय के एवार्ड से असन्तुष्ट है तथा श्रीमान मध्यस्थ महोदय के सक्षम अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्व यह आपत्तियां प्रस्तुत कर रहा है ।

5. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट अभिनव जैन एवं दिलदार सिंह उपस्थित वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है व अप्रार्थी सं0 8/1,2,3 की ओर से श्री नरपतसिंह राजावत अभिभाषक उपस्थित । अप्रार्थी नं0 3 व 5 उपस्थित किन्तु न तो जवाब पेश किया ओर ना ही दौराने बहस उपस्थित हुए । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 1 व 8/1,2,3 के अतिरिक्त सभी अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर अनुपस्थित के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

6. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने सन 2006 में न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त गोपालपुरा स्थित उपर वर्णित तथा वाद पत्र की मद नम्बर 10 में वर्णित है को प्रार्थी को दी जाकर उसका खातेदार घोषित करने की प्रार्थीना की । उक्त वाद में न्यायालय एसीएम कोटा द्वारा दिनांक 16.6.2017 को प्रार्थी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 1.2.2021 को अन्तिम डिक्री पारित करते हुये पूर्वजों के द्वारा किये गये विभाजन एवं वर्तमान में भी कब्जे के अनुसार ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा कोटा स्थित खसरा नम्बर 106 की 0.21 हे0, खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0, खसरा नम्बर 411 की 0.88 हे0 तथा खसरा नम्बर 448 की पश्चिम साइड की 0.15 हे0 भूमि प्रार्थी को दी गई है खसरा नम्बर 120 की 0.29 हे0 भूमि पूर्व में एन0एच0 12 में अवाप्त हो जाने के कारण शेष 1.13 हे0 भूमि रही है । उपरोक्त अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम गोपालपुरा, स्थित खसरा नम्बर 106 की 0.21 हे0 तथा खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0 भूमि अवाप्त कर उसका एवार्ड जारी कर दिया तथा एवार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 106 की भूमि का प्रतिकर 10,24,504/– तथा खसरा नम्बर 120 की भूमि का प्रतिकर 1,86,41,756/– कायम किया तथा दौनों खसरा नम्बर की

जिला कलेक्टर
कोटा

भूमि का तय प्रतिकर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा मानकर प्रतिकर दिलाये जाने का एवार्ड कर दिया जबकि उक्त दौनों खसरा नम्बर की भूमि सम्पूर्ण प्रतिकर प्रार्थी ही प्राप्त करने का अधिकारी है । अप्रार्थीगण उक्त प्रतिकर की राशि में से एक रूपया भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, कारण कि उक्त भूमि पूर्वजों के समय से ही प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता के हिस्से एवं कब्जे काश्त में रही है तथा अन्य व्यक्तियों के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज है तथा न्यायालय एसीएम द्वारा भी उक्त अन्तिम डिकी दिनांक 1.2.2021 के द्वारा प्रार्थी को दी गई है । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की आपत्तियां स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एवार्ड को निरस्त कर नया एवार्ड पारित करते हुये उपरोक्त दौनों अवाप्त खसरा नम्बर की भूमि का सम्पूर्ण प्रतिकर प्रार्थी को प्राप्त करने का अधिकरी मानते हुये प्रार्थी के पक्ष में एवार्ड जारी किये जाने की आज्ञा प्रदान करें ।

7. वकील अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख0नं0 106 की 0.21 हे0 किस्म चाही उत्तम संजय पुत्र रमेश चन्द जाति मेहर द्वारा रिद्वी सिद्वी कॉलोनाईजर 214 केशवपुरा रंगबाडी रोड कोटा हि. 1/3 धनप्रकाश, हंसराज, मुल्कराज, शोभाराम, मुकट बिहारी पुत्रान दाखाबाई पत्नि स्व. लटूर हिस्सा 1/6 व नन्दु पुत्री घांसी हिस्सा 1/6 जमनालाल पुत्र किषना हि. 1/3 जाति बलाई सा देह एवं खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0 निजी किस्म माल–1 धनप्रकाष हंसराज मुल्कराज शोभाराम, मुकट बिहारी पुत्रान दाखाबाई बेवा लटूर हिस्सा 1/6 व नन्दु पुत्री घांसी हिस्सा 1/6 जमनालाल पुत्र कृष्णा हि. 1/3 दुर्गालाल हेमराज बृजमोहन पुत्र कान्हा हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा दर्ज थी । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (भरतमाला) हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.577(अ) दिनांक 30.01.2019 को जारी की जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.02.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 106, की 0.21 हे0 चाही उत्तम जो केन्द्र सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और

जिला कलेक्टर
कोटा

पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार किया गया । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा खसरा नम्बर 106 की 0.21 हे0 चाही उत्तम एवं खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0 निजी किस्म माल–1 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उसी अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में स्वामित्व का प्रश्न उठाया है जिसे निर्णित करने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है व विधि के प्रावधानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त आपत्तियां बिना एक दुसरे पर प्रभाव डाले प्रस्तुत की जा रही है जिनसे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि की जो मुआवजा राशि अधिनिर्णय–आदेश क्रमांक/797 दिनांक 5.7.2019 के द्वारा निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा दौराने बहस फर्द दस्तावेजों की सूची के साथ मानीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश कोटा में प्रस्तुत रेफरेंस की फोटो प्रति प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त विवादित प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) एनएच 148 एन एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में रेफरेंस पेश किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में हितबद्व व्यक्तियों को भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही किया जाना है ।

8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 23 के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा भूमि ग्राम गोपालपुरा के खसरा नम्बर 106 की 0.21 हे0 निजी किस्म चाही उत्तम एवं खसरा नम्बर 120 की 1.13 हे0 निजी किस्म माल–1 भूमि उक्त 8 लेन परियोजना (भारतमाला) में अवाप्ति हेतु एवार्ड पारित कर दिया गया । कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 05.07.2019 को प्रतिपक्षी नं0 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3क की प्रचलित डीएलसी के आधार पर एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति के अनुसार मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है । वकील प्रार्थी के कथनानुसार अवाप्तसुदा भूमि के सम्बन्ध में ए0सी0एम0 कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 1.2.2021

जिला ... कोटा

अनुसार सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है । वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस की प्रति अनुसार प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में विचाराधीन होने से इस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय स्तर से निर्णय लिया जाना उचित नहीं मानते है । माननीय न्यायालय के आदेश एवं निर्देशानुसार ही भुगतान किया जाना उचित प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित मानते है ।

9. परिणामतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि एवं मुआवजा भुगतान के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में रेफरेंस प्रस्तुत कर दिया जाने से इस प्रार्थना पत्र में अब कोई निर्णय इस न्यायालय स्तर से लिया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जावें ।

10. निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

8/9/21

(उज्ज्वल राठौड़)
ज़िला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा